डा0 राजपाल कश्यप, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये, विधान परिषद् प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–8 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
8(क)–क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मछुआ समुदाय को बालू, खनन, मौरंग आदि के पट्टे देने पर सरकार विचार कर रही है?	जी नहीं। वर्तमान में खनन नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में उपखनिजों (यथा–बालू, मौरंग आदि) के खनन पट्टे ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है।
(ख)–क्या उक्त सुविधा कभी मछुआ समुदाय को दी गयी थी ?	जी हॉ।
(ग)–यदि हां, तो कब ?	वर्ष 1994 में।
(घ)–यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

डा0 राजपाल कश्यप, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये, विधान परिषद् प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–8 की अनुपूरक सामग्री–

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–9क व 53क में पूर्व में बालू के खनन पट्टे मल्लाह, बिन्द, निषाद, माझी, बाथम, धीवर, थेंगर, नाई, सोरहिया, तुरहा, रैकवार, कंदर्त, खुलवट, तियार, गोड़िया और कश्यप जातियों को अधिमानी अधिकार दिये जाने का प्राविधान किया गया था। उक्त जातियों को बालू के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने के अधिमान दिये जाने के अधिकार को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–256/1997 रामचन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य के माध्यम से चुनौती दी गयी थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.03.2021 द्वारा नियम–9(क) व नियम–53(क) को अल्ट्रा वायरस (Ultra Virus) घोषित किये जाने के कारण नियमावली–1963 के 26वें संशोधन, शासकीय अधिसूचना दिनांक 22.06.2004 द्वारा नियम–9क व 53क को विलोपित कर दिया गया।

वर्तमान में खनन नीति–2017 प्रख्यापित है जिसके अन्तर्गत उपखनिजों के खनन पट्टे ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से दिये जाने के नियम है जिसमें किसी जाति विशेष/समुदाय को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।